

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.6(272)स्था/मुअजसं/2016/6071-76

जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2016

आदेश

27 DEC 2016

तकली मध्यम परियोजना से सम्बन्धित शेष कार्यों को समयबद्ध सम्पादित करने हेतु पुनर्वास उपखण्ड रावतभाटा (अधिशायी अभियन्ता, राणा प्रताप सागर एवं भण्डार खण्ड रावतभाटा) को अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा के प्रशासनिक नियंत्रण में रामगंज मण्डी मुख्यालय पर स्थानान्तरित कर इसका नाम जल संसाधन, तकली परियोजना उपखण्ड, रामगंजमण्डी किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(आर.सी. डेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलेक्टर, कोटा।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर/जल संसाधन सम्भाग कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना तीन दिवस में आवश्यक रूप से कराकर सूचित करावे।
3. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (मुख्यालय एवं आई.टी.) राजस्थान, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, कोटा/राणा प्रताप एवं जवाहर सागर बांध वृत्त, कोटा।
6. अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, कोटा/राणा प्रताप सागर एवं भण्डार खण्ड रावतभाटा।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प. 272, स्था/मुअजसं/2016/6200-6202

जयपुर, दिनांक:- 27/12/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव वारंटे मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/स्टेनो वारंटे अधीक्षण अभियन्ता एवं पारस/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)/कार्य/विशेष योजना/(विधानसभा)/(अन्तर्राज्यीय)/(प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग)/(ई-गवर्नेंस)/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/उप विधि परामर्शी कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
3. स्थापना शाखा प्रथम/द्वितीय/तृतीय/वजेट शाखा/लेखा शाखा/गोपनीय/सांख्यिकी/ई.ओ./कॉन्सिडर/विल/विधानसभा/आवक-जावक/कार्यालय हज़ार।